जनपद हमीरपुर

थाना- जरिया

दिनांक - 24.08.2026

थाना जरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-153/2026 धारा-303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को चोरी की 02 बैटरियों सहित गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2026 की रात्रि ग्राम रिगवारा कलां, थाना जरिया क्षेत्र में वादी अशोक कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम रिगवारा कलां के घर के सामने खड़े ट्रैक्टरों से 02 बैटरियां चोरी होने की घटना घटित हुई थी। उक्त घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जरिया पर दिनांक 23.08.2026 को मु0अ0सं0 153/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

आज दिनांक 24.08.2026 को थाना जरिया पुलिस क्षेत्र में भ्रमण/गश्त पर मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त चोरी की घटना को ग्राम रिगवारा कलां निवासी आशिक राजपूत पुत्र रामविशाल द्वारा कारित किया गया है तथा चोरी की गई बैटरियों को लेकर वह राठ-जलालपुर मार्ग पर उदयभान पाल के घर के सामने खड़ा है और उन्हें कहीं ले जाने की फिराक में है।

सूचना पर थाना जरिया पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त आशिक राजपूत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अलग-अलग बोरियों में 02 अदद बैटरियां बरामद हुईं। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त बैटरियों को दिनांक 21.08.2026 की रात्रि ग्राम रिगवारा कलां में खड़े दो ट्रैक्टरों से चोरी करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उसके कब्जे से चोरी की बैटरियों की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। थाना जरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशिक राजपूत पुत्र रामविशाल, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम रिगवारा कलां, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी-

02 अदद चोरी की बैटरियां।

पुलिस टीम –

1.उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव

2.का0 जितेन्द्र कुमार

3.का0 अनुराग कुमार